प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 78/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

आरुषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया निवासीः फ्लेट नंबर 502, हिंतावाला टॉवर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भूवाणा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव, जिला–उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/08/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/78/23/1025–26 दिनांक 02.08.2023 से लिखा गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ. /2023/483 दिनांक 28.08.2023 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.06.2023 द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय को दिनांक 19.06.2023 को प्राप्त हुआ। बिन्दु संख्या 7ए एवं 7बी मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 13.2.2023 को अपीलार्थी को जरिये डाक द्वारा सूचित कर दिया गया था। दर्ज रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त दर्ज रजिस्टअर में इस्तगासा संख्या 67/21(107–151) में गैर सायल श्री प्रकाश पिता डालचंद नगारची के नाम दर्ज है। उपरोक्त प्रकरण के अलावा उक्त इस्तगासा संख्या 67/21 हिंमाशु चोरडिया के नाम का कोई भी इस्तगासा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से दर्ज रजिस्टर में अंकन नहीं किया हुआ है। अतः अतः प्रार्थी द्वारा की गई प्रथम अपील को निरस्त कराने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वह प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 117 दिनांक 13.02.2023 से ही जरीये डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा इस्तागासा संख्या 67/21 गैरसायल हिमांशु चोरडिया से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चाही गई थी परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कि इस्तगासा संख्या 67/21 पर गैरसायल हिमांशु चोरडिया नहीं होकर प्रकाश पिता डालचंद नगारची का नाम अंकित है, जिससे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2023 में इस्तागासा संख्या 67/21 गैरसायल हिमांशु चोरडिया का नाम नहीं होकर उक्त इस्तगासा संख्या 67/21 पर प्रकाश पिता डालचंद नगारची का नाम अंकित है। जिसकी सूचना से अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 117 दिनांक 13.02.2023 से अवगत करवा दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्कता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह चाही गई सूचना से संबंधित सही इस्तगासा नंबर एवं नाम प्रस्तुत करे ताकि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गावं एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर